(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 03/2024

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2024/174

बउनवान

रामसिंह उम्र 59 वर्ष पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पेट्रोल पम्प के सामने, कैलाशपुरी कॉलोनी, छबडा जिला बारॉ (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1. शालिन कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र भगवान जाति ब्राहमण निवासी खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारॉ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारॉ (राज.)

(अप्रार्थीगण)

किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) आवंटन नियम, 1970

उपस्थित :– 1– श्री शैलेष मेहता अभिभाषक (प्रार्थी)
2– श्री बृजराज सिंह चौहान (अप्रार्थी क्रम 01)
3– पेरोकार सरकार (अप्रार्थी क्रम 02)

निर्णय दिनांक 21.01.2025

प्रार्थी द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा आवंटी श्री शालिन कुमार पुत्र भगवान जाति ब्राहमण निवासी खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज.) को आवंटन आदेश दिनांक 20.06.2002 से ग्राम बलदेवपुरा तहसील अटरू जिला बारां के खसरा नंबर 104/362 की 0.50 है0 भूमि आवंटन की गई है जिससे अप्रसन्न होकर आवंटन आदेश निरस्त किए जाने हेतु विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 22.10.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 02 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश तलब किया गया, जो इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, अटरू के पत्रांक 1669 दिनांक 28.10.2024 के संलग्न प्राप्त हुआ। प्रकरण में प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसकी एक फोटोप्रति अप्रार्थी क्रम 1 के अभिभाषक को तकसीम की जाकर, शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस लिखित बहस के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रतिपक्ष संख्या 01 शालिन कुमार पुत्र भगवान जाति ब्राहमण निवासी अटरू आवंटन दिनांक 20.06.2002 को भी अविवाहित था। वह आज दिनांक तक भी अविवाहित है। अविवाहित पुत्र/पुत्र पिता के परिवार की इकाई मानी जाती है। पुत्र का, पिता की पुश्तेनी सम्पत्ति मे पूर्ण अधिकार होता है। अतः अलोटमेन्ट निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिपक्ष संख्या 01 प्रार्थी की भूमि [illegible]स्ती अनाधिकृत तरीके से कब्जा करना चाहता है। वक्त आवंटन खसरा नम्बर 104/362 मे [illegible] की गई थी, वह तरमीम उत्तर दिशा की ओर की गई थी, जो सही थी। लेकिन [illegible] उक्त तरमीम को दक्षिण दिशा की ओर करवा लिया गया है जिससे प्रार्थी को अपील [illegible]जी के संबंध मे नुकसा[illegible] रहा है, क्योंकि उक्त तरमीम के आधार पर प्रार्थी की भूमि का हिस्सा अ[illegible]या। अतः अलोटमेन्ट नि[illegible]य है।

प्रतिपक्ष संख्या 01 ग्राम पंचायत दडा का निवासी भी नही था, वह आज भी नही है। प्रार्थी प्रतिपक्ष संख्या 01 जन्म से खेडलीगंज ग्राम पंचायत का मूल निवासी है। समस्त प्रकरण की केवाईसी खेडलीगंज अटरू के नाम से बनी हुई है। अतः अलोटमेन्ट निरस्त योग्य है।

प्रतिपक्ष संख्या 01 प्राथमिकता से भी एस.सी./एस.टी. दिव्यांग व्यक्ति की श्रेणी मे भी नही आता है। अतः एलोटमेन्ट निरस्त योग्य है। प्रतिपक्ष संख्या 01 के पिता भगवान पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण साकिन अटरू के नाम ग्राम दडा पटवार हल्का दडा भू.अ.नि. क्षेत्र कवाई दूसरा ग्राम बरलां पटवार हल्का बरलां भू.अ.नि. क्षेत्र अटरू मे पुश्तेनी जमीन खसरा नम्बर रकबा किस्म निम्न प्रकार से है :—

(1) ग्राम दडा मे पुश्तेनी भूमि निम्न प्रकार से है —

1. खसरा नम्बरं 41 रकबा 2.64 किस्म भूमि माल द्वितीय
2. खसरा नम्बर 45 रकबा 5.30 किस्त भूमि माल द्वितीय

   हिस्सा भगवान पुत्र कन्हैयालाल 5.30 एवं हिस्सा महावीर पुत्र कन्हैयालाल 2.65

(2) ग्राम दडा मे अन्य भूमि जो स्वयं भगवान पुत्र कन्हैयालाल द्वारा क्रय की गई थी।

1. खसरा नम्बर 43 रकबा 0.62 किस्म भूमि माल प्रथम

(3) ग्राम बरलां मे शामलाती पुस्तेनी भूमि निम्न प्रकार से है।

1. खसरा नम्बर 735 रकबा 1.1800 किस्म भूमि माल प्रथम
2. खसरा नम्बर 736 रकबा 0.0100 किस्म भूमि गै.मु. डेर
3. खसरा नम्बर 737 रकबा 0.0300
4. खसरा नम्बर 738 रकबा 0.8500 किस्म भूमि माल प्रथम

इस प्रकार प्रतिपक्ष संख्या 01 के पिता के पास भगवान पुत्र कन्हैयालाल नोशनल शेयर से भी अधिक आराजी है। अप्रार्थी क्रम 01 ने कपटपूर्ण तरीके से एलोटमेन्ट करवाया है, जिसे निरस्त करने का न्यायालय को पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी संख्या 01 का आवंटन दिनांक 20.06.2002 को निरस्त फरमाया जावे एवं खसरा नं. 104/362 का वर्तमान खसरा नं. 570/104 की रकबा 0.50 है0 भूमि को सिवायचक दर्ज करते हुए खाता सरकार दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

अप्रार्थी क्रम 01 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थी रामसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी छबड़ा को अलोटमेंट नहीं हुआ है। आवंटन अन्य व्यक्ति को हुई है। मांगीलाल को खातेदारी अधिकार मिले। उसके द्वारा रामसिंह को बेचान की गई। अप्रार्थी क्रम 01 को दिनांक 20.06.2002 को ग्राम बलदेवपुरा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित आराजी खसरा नं. 104/362 की रकबा 0.50 है. भूमि का आवंटन किया गया तथा 27.07.2002 को दखल दिया गया। इसके पश्चात् दिनांक 10.01.2007 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। न्यायालय उपखंड अधिकारी, अटरू में अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2022 को अंतर्गत धारा 128, 136 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.02.2023 से अप्रार्थी क्रम 01 के पक्ष में विवादित आराजी ग्राम बलदेवपुरा पटवार हल्का दडा के खाता संख्या 137 के खसरा नं. 570/104 रकबा 0.50 है. आराजी के नजरी नक्शे में दखलनामा अलोटी के प्रष्ठ भाग पर अंकित नजरी नक्शा (मूल खसरे के दक्षिण में) अनुसार तरमीम शुद्ध करने के आदेश दिये गये एवं तहसीलदार, अटरू को आदेशित किया गया कि उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:14 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी क्रम 01 के अभिभाषक द्वारा [illegible] समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2019 आरबीजे 77 न्यायालय राजस्व मण्डल राज., [illegible]/6480/06/बाडमेर देवीचंद बनाम बंशीधर में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2018 में उल्लेखित किया गया है कि राज. लैंड रेवेन्यू (कृषि के लिये भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अनुसार आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार मिलने के बाद इन नियमों के तहत आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता एवं न्यायिक दृष्टांत 2019 आरबीजे 694 न्यायालय राजस्व मण्डल राज., अजमेर अपील/एल.आर./2003/6039/सवाई माधोपुर जगदीश आदि बनाम ताहिर आदि में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 में उल्लेखित किया गया है कि राज. लैंड रेवेन्यू (कृषि के लिये भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) में सरकारी सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी का मुख्य कथन है कि अप्रार्थी क्रम 01, प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती अनाधिकृत तरीके से कब्जा करना चाहता है। वक्त आवंटन खसरा नम्बर 104/362 मे जो तरमीम की गई थी, वह तरमीम उत्तर दिशा की ओर की गई थी, जो सही थी। लेकिन प्रतिपक्षी संख्या 1 के द्वारा अब उक्त तरमीम को दक्षिण दिया की ओर करवा लिया गया है। जिससे प्रार्थी को अपील आराजी के संबंध मे नुकसान हो रहा है। क्योकि उक्त तरमीम के आधार पर प्रार्थी की भूमि का हिस्सा आ गया। अतः अलोटमेन्ट निरस्त योग्य है। अप्रार्थी क्रम 01 का मुख्य कथन है कि न्यायिक दृष्टांत 2019 आरबीजे 77 न्यायालय राजस्व मण्डल राज., अजमेर अपील/एल.आर./6480/06/बाडमेर देवीचंद बनाम बंशीधर में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2018 में उल्लेखित किया गया है कि राज. लैंड रेवेन्यू (कृषि के लिये भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अनुसार आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार मिलने के बाद इन नियमों के तहत आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता एवं न्यायिक दृष्टांत 2019 आरबीजे 694 न्यायालय राजस्व मण्डल राज., अजमेर अपील/एल.आर./2003 /6039/सवाई माधोपुर जगदीश आदि बनाम ताहिर आदि में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 में उल्लेखित किया गया है कि राज. लैंड रेवेन्यू (कृषि के लिये भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) में सरकारी सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 खारिज किया जाता है। प्रार्थी के कथनानुसार यदि राजस्व रिकार्ड या नक्शे में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो प्रकरण में प्रार्थी को रिकार्ड दुरूस्ती के संबंध में सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

निर्णय आज दिनांक **21.01.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:30:14 IST
Reason: SelfAttested